सं. 12011/16/2009-स्था.(भत्ते)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

नई दिल्ली, दिनांक 13 नवम्बर 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- बाल शैक्षणिक भत्ता/छात्रावास आर्थिक सहायता – स्पष्टीकरण ।

मुझे उपर्युक्त विषय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2 सितंबर,2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12011/3/2008-स्था.(भत्ते) का हवाला देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग को सरकारी कर्मचारियों, मंत्रालयों/विभागों से विभिन्न संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा वसूल की जा रही विद्यालय विकास निधि (वी.वी.एन.), उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 1(ड.) में विस्तृत रूप से दर्शाई गई मदों के अनुरूप प्रतिपूर्ति के योग्य है ? इस संबंध में वित्त मंत्रालय के परामर्श से विचार-विमर्श किया गया है । यह स्पष्ट किया जाता है कि केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा वसूल की जा रही विद्यालय विकास निधि भी उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 1(ड.) का एक हिस्सा है और बाल शिक्षण भत्ता की योजना के अनुसार प्रति बालक/बालिका 12000/-रुपए की वार्षिक सीमा के अध्ययधीन प्रतिपूर्ति के लिए इसका दावा किया जा सकता है । जिन विगत के मामलों में विद्यालय विकास निधि को प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकार नहीं किया गया है, तो उन पर अन्य शर्तों के अध्यधीन उनमें प्रतिपूर्ति के लिए विचार किया जाए ।

इस विभाग को यह स्पष्टीकरण मांगते हुए भी पत्र प्राप्त हो रहे हैं कि क्या बाल शिक्षण भत्ते का दावा सरकारी कर्मचारियों द्वारा किन्ही भी दो बच्चों के संबंध में किया जा सकता है, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं ? यह स्पष्ट किया जाता है कि बाल शिक्षण भत्ता केवल दो बड़े जीवित बच्चों के लिए अनुज्ञेय है, सिवाए उन मामलों के जिनमें बच्चों की संख्या, दूसरे बच्चे के जन्म के परिणामस्वरूप दो या अधिक बच्चों का जन्म होने से अधिक हो जाती है ।

सिम्मी आर. नाकरा

(सिम्मी आर. नाकरा)

निदेशक

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि (मानक सूची के अनुसार)

सं. 12011/16/2009-स्था.(भते) दिनांक 13 नवम्बर 2009

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय/लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय ।
संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री का कार्यालय/योजना आयोग/केन्द्रीय सूचना आयोग ।
सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र ।
सभी राज्यों के राज्यपाल/संघ शासित क्षेत्रों के उप राज्यपाल ।
सचिव, राष्ट्रीय परिषद् (कर्मचारी पक्ष), 13-ग, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
जे.सी.एम. की राष्ट्रीय परिषद् जे.सी.एम./विभागीय परिषद् ।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।

8. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (ई.IV) शाखा ।
9. राजभाषा स्कंध (विधायी विभाग), भगवान दास रोड, नई दिल्ली ।
10. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ।
11. एन.आई.सी., कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को www.persmin.nic.in<Allowance
12. 20 अतिरिक्त प्रतियाँ ।

सिम्मी नाकरा

(सिम्मी आर. नाकरा)
निदेशक